	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 19, सोमवार, शाके 1948- अगस्त 10, 2026 Sravana 19, Monday, Saka 1948- August 10, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, **2026**

एस.ओ.47 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 6(2)वित्त/कर/2019/पार्ट-01 दिनांक 10.06.2026 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

विशिष्ट शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : जून 10, **2026**

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक पं. 2(26)वित्त/कर/2006/91 दिनांक 25.09.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन गठित राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड को उक्त अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ.6(2)वित्त/कर/2019/पार्ट-01]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

विशिष्ट शासन सचिव''

Government Central Press, Jaipur.